

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झाँसी।

सेवा में,

प्रबंधक

मून इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल
भुजौंद- मोंठ

पत्रांक : मान्यता /

3128-31

/ 2016-17 दिनांक

28-6-16

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 21.06.2016 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार मैं मून इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, भुजौंद - मोंठ को तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से आठ तक के लिए अनन्तम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्वधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजारे वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय में एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी भी कपिटेशन/शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को प्रवेश का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

Principal

विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए
द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया
चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी
चाहिए।

4. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक है। कृपया इसे नोट करे ले और
इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
5. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला
शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्रधिकारी के लिए अनुदेशों का
पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के संतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय
के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाए।
6. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
7. विद्यालय की रंगाई पुताई प्रत्येक दो वर्ष सुनिश्चित की जायेगी, तथा विद्यालय भवन का बाह्य
रंग सफेद होना चाहिये।
8. विद्यालय में एन०सी०ई०आर०टी० एवं परिषद द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही पढ़ाई जायेंगी।
9. प्रशिक्षित अध्यापक ही रखे जाये।
10. विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झाँसी।

10सं० / /2016-17 दिनांक उक्तवत।


तिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे०) झाँसी मण्डल, झाँसी।
2. जिला ससाज कल्याण अधिकारी, झाँसी।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झाँसी।

All India
Manager
National Public School
10TH (JHANSI) U.P.-284303

(Dr. B. S. Singh)
Principal
केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya
मन्दायत Talabhat



Kanika
Principal
M. on International Public School
5th JOND, MOTH (JHANSI) U.P.-284303